The Dowry Prohibition (Bihar Amendment) (Repeal) Act, 2018

Act 13 of 2019

Keyword(s):
Dowry Prohibition

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1941 (श0)
(सं0 पटना 910) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अगस्त 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

1 अगस्त 2019

सं० एल०जी०–01–09/2018–5239/लेज।––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 20 मई 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

[बिहार अधिनियम 13, 2019]

दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2018

दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 (बिहार अधिनियम 4, 1976) का निरसन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य में उनहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नांकित रूप से यह अधियिमित हों:–

1. **संक्षित नाम, विस्तार एवं प्रारंभः**–(1) यह अधिनियम दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम 1975 का निरसन**–दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975 (बिहार अधिनियम 4, 1976) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

3. **व्यावृतिः**–ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम, 1975 के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई अथवा आरंभ की गई कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

---

1 अगस्त 2019

सं० एल०जी०–01–09/2018–5240/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 मई 2019 को अनुमत **दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन)(निरसन) अधिनियम, 2018** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

[Bihar Act 13, 2019]

Dowry Prohibition (Bihar Amendment) (Repeal) Act, 2018

AN
ACT

To repeal the Dowry Prohibition (Bihar Amendment) Act. 1975, (Bihar Act 4, 1976).

Be It enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty nineth year of the Republic of India as follows :-

1. ***Short tittle, extent and commencement.-***—(1) This Act may be called the Dowry Prohibition (Bihar Amendment) (Repeal) Act, 2018

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Repeal of the Dowry Prohibition (Bihar Amendment) Act, 1975 (Bihar Act 4, 1976).—*** The Dowry Prohibition (Bihar Amendment) Act, 1975. (Bihar Act 4 of 1976) is hereby repealed.

3. ***Saving.—***Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or any proceeding initiated under the said Act, 1975 shall not be affected

By Order of the Governor of Bihar,
Sanjay Kumar,
Under Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 910-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in